वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Website: **www.uktech.ac.in**

पत्रांक संख्या 1535/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0/2023 दिनांकः– 18/08/2025

!! सूचना !!

सूचित किया जाता है कि विश्ववविद्यालय विनियमावली–2018 के अध्याय–07 की धारा 7.01 **"नये महाविद्यालयों को सम्बद्धता"** में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/नवीन प्रस्तावित संस्थानों/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि जो शैक्षिक सत्र 2026–27 से नवीन तकनीकी, फार्मेसी संस्थान/पाठ्यकम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यकमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक है, ऐसे संस्थानों/ट्रस्ट/सोसाईटी आदि से विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के **ऑनलाईन यू0एम0एस0 पोर्टल** पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

प्रथम चरण नवीन संस्थान/पाठ्यकम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यकमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी हेतु ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल खोले जाने की तिथि तथा पोर्टल बंद किये जाने की तिथि	01 सितम्बर, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक
प्राप्त आवेदनों में संस्था स्तर पर सूचना अपडेट किये जाने अथवा सुधार किये जाने हेतु निर्धारित तिथि	15 अक्टूबर, 2025 से 22 अक्टूबर, 2025 तक
अंतिम चरण यदि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्ति उपरान्त भी कोई संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी उपरोक्त हेतु आवेदन के लिए इच्छुक है, तो अर्थदंड की राशि रू0 10000/– प्रति पाठ्यकम की दर सहित आवेदन किये जाने हेतु अंतिम तिथि	23 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक
प्राप्त आवेदनों **पर निरीक्षण समिति का गठन**	आवेदन प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर
गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई	समिति गठित किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित की गयी कमियों का संस्था स्तर पर निराकरण/अनुपालन	निरीक्षण प्रकिया पूर्ण होने के 01 सप्ताह के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा संस्था के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव को निरीक्षण समिति की सुस्पष्ट संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार की अनापत्ति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्रवाई	निरीक्षण समिति द्वारा सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर

नोट

1. आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी को उपरोक्त प्रकिया पूर्ण होने उपरान्त नवीन संस्थान/पाठ्यकम संचालित किये जाने, पूर्व संचालित पाठ्यकमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति तथा नियामक संस्था की स्वीकृति/अनुमोदन विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2026–27 की प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा/निर्देशों अनुसार शैक्षिक सत्र 2026–27 में नवीन विधि संस्थान/नवीन विधि पाठ्यकम संचालन पर रोक लगाई गयी है। अतः नवीन विधि संस्थान/नवीन विधि पाठ्यकम संचालन हेतु इच्छुक संस्थान/सोसाईटी/ट्रस्ट आदि के स्तर पर सम्बन्धित पोर्टल पर आवेदन न किये जायें। ऐसे आवेदनों को विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकार नही किया जायेगा।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून।
5. परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, यू0एम0एस0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त संस्थान/सोसाइटी/ट्रस्ट तथा सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. वेबमास्टर, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त सम्बद्ध संस्थान, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विव0, देहरादून।
10. श्री हरेन्द्र रावत, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0 को उक्त की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

(कुलसचिव)